न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम.,शामली।

सत्र परीक्षण सं०–**373/2026**
स्टेट–बनाम–**बादल उर्फ दिव्यांशु आदि**।
मु०अ०सं०–**641/2025**
धारा–191(2),191(3),190,140(1),115(2),352,351(2) बी०एन०एस०
थाना-कोतवाली शामली, जिला शामली।

आरोप

मैं सुरेन्द्र कुमार राय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश**,** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम**.,**शामली एतद्द्वारा आप **अभियुक्तगण बादल उर्फ दिव्यांशु व बोबी उर्फ मनोज** को निम्न लिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

1– यह कि घटना दिनांक 23.11.2025 को समय करीब 03.00 बजे दोपहर, बहद स्थान एकता मार्केट थाना कोतवाली शामली जिला शामली में आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव गठित कर नाजायज बल्वा कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–191(2) बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक आयुधों (तमंचो) आदि से सज्जित होकर बल्वा कारित कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा– 191(3) बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा संदीप कुमार को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–115(2) सहपठित धारा 190 बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा उपरोक्त को लोक शांति भंग कराने के लिए प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौज देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–352 बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा उपरोक्त को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–351(2) बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा संदीप कुमार की हत्या करने के आशय से उसका अपहरण किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–140(1) सहपठित धारा 190 बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा

दिनांक–16.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
J.O. Code-UP-1761
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), शामली।

आरोप अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग किया।

दिनांक–16.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
J.O. Code-UP-1761
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), शामली।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम.,शामली।

सत्र परीक्षण सं०–**373/2026**
स्टेट–बनाम–**बादल उर्फ दिव्यांशु आदि**।
मु०अ०सं०–**641/2025**
धारा–191(2),191(3),190,140(1),115(2),352,351(2) बी०एन०एस०
थाना–कोतवाली शामली, जिला शामली।

दिनांकः 27.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण **बादल उर्फ दिव्यांशु व बोबी उर्फ मनोज** मय विद्वान अधिवक्ता हाजिर अदालत हैं। राज्य की तरफ विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने हेतु पत्रावली एवं केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जबकि अभियोजन द्वारा तर्क पस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनके आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन, परिशीलन किया।

उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं केस डायरी आदि के अवलोकन से अभियुक्तगण **बादल उर्फ दिव्यांशु व बोबी उर्फ मनोज** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–191(2),191(3),190,140(1),115(2),352,351(2) **बी०एन०एस०** का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की याचना किया। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन तलब हो।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 17.08.2026 को पेश हो।

(सुरेन्द्र कुमार राय)
J.O. Code-UP-1761
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
शामली।